

## कार्यकारी सारांश

मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, हमारा संविधान निर्धारित करता है कि सामासिक संस्कृति से समृद्ध विरासत को महत्व देना तथा उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इसलिए अपनी विरासत का संरक्षण हमारा एक विशेष उत्तरदायित्व है।

संस्कृति मंत्रालय, भारतीय विरासत तथा संस्कृति के संरक्षण तथा प्रोत्साहन हेतु उत्तरदायी है। मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा संग्रहालयों के माध्यम से, राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन, तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की कला वस्तुओं के संग्रहण तथा प्रदर्शन के कार्य में लगा है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, हमने अपने देश के स्मारकों तथा पुरावशेषों की अस्थाई विरासत की रक्षा, संरक्षण तथा बचाव के प्रति संस्कृति मंत्रालय के प्रयासों का मूल्यांकन किया।

### हमने यह विषय क्यों चुना?

विरासत संरचनाएं, स्थल तथा पुरावस्तुएं राष्ट्रीय परिसम्पत्ति हैं। विरासत की पहचान तथा संरक्षण पर कार्य स्वतंत्रता से काफी पहले उन्नत सदी के मध्य में आरम्भ किया गया था। तथापि, स्वतंत्रता पश्चात् के वर्षों से की गई प्रगति की समाविष्ट रूप से समीक्षा नहीं की गई थी। भारत में विरासत तथा उसके संरक्षण के प्रति चेतना में वृद्धि हुई है। 2012 में, भा.पु.स. ने अपने अस्तित्व के 150 वर्ष पूरे किए। फिर भी, इसकी कई उत्खनन परियोजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। भा.पु.स. द्वारा प्रारम्भ की गई संरक्षण परियोजनाएं भी कई अपर्याप्तताओं तथा सीमाओं से ग्रसित हैं। संगठन में संरक्षण संबंधी कार्यकलापों हेतु निधियाँ एवं श्रमशक्ति की गम्भीर कमी है। देश में पुरावस्तुएं की चोरी तथा तस्करी की घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। देश के प्रमुख संग्रहालयों में संग्रहित कला वस्तुओं के उचित रख-रखाव, सुरक्षा तथा प्रदर्शन हेतु संसाधनों तथा योजना की कमी है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, हमारा उद्देश्य विरासत संरक्षण के क्षेत्र में मौजूद त्रुटिपूर्ण निष्पादन के पीछे कारणों की पहचान करने तथा प्रभावी परिशोधक कदम उठाने में कार्यकारिणी को सहायता प्रदान करना है।

### इस लेखापरीक्षा में क्या शामिल किया गया है?

निष्पादन लेखापरीक्षा में 24 भा.पु.स. परिमण्डलों के अंतर्गत देश भर में फैले 3678 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों तथा स्थलों में से 1655 स्मारकों तथा स्थलों को संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के लिए शामिल किया गया है। इन स्मारकों तथा स्थलों का चयन उनके ऐतिहासिक महत्व तथा

भौगोलिक विस्तार के आधार पर किया गया। सात संग्रहालयों<sup>1</sup> को भी इस प्रत्यक्ष निरीक्षण में शामिल किया गया था। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान भा.पु.स. एवं इसके कार्यालयों, संस्कृति मंत्रालय, संग्रहालयों तथा अन्य सहयोगी कार्यालयों तथा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, के अभिलेखों की भी इस निष्पादन लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई।

## प्रतिवेदन कैसे संगठित किया गया है?

इस प्रतिवेदन का अध्याय I, पृष्ठभूमि सूचना, लेखापरीक्षा दृष्टिकोण तथा नमूना चयन के ब्यौरे प्रदान करता है। अध्याय II से X, पूर्वपरिभाषित लेखापरीक्षा उद्देश्यों जो स्मारकों तथा पुरावस्तुएं के बचाव तथा संरक्षण के विषयों, उत्खनन परियोजनाओं के प्रबंधन, निधीयन, मुख्य संग्रहालयों के संचालन तथा मॉनीटरिंग पर समग्र लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं। अध्याय XI में हमने मंत्रालय द्वारा नियंत्रण की स्थिति तथा विभिन्न समितियों, न्यायालय के विनिर्णयों तथा पहले की नि.म.ले.प. के पूर्व प्रतिवेदनों द्वारा दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाहियों की जांच करने का प्रयास किया गया है। अध्याय XII, निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन में 61 अनुशंसाएं शामिल हैं।

## लेखापरीक्षा निष्कर्षों की मुख्य बातें

- हमने पाया कि मंत्रालय ने भा.पु.स. के साथ केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की पहचान हेतु एक व्यापक सर्वेक्षण अथवा समीक्षा नहीं की थी। इसी प्रकार, ऐसे स्मारकों की पहचान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था, जो एक लंबी अवधि से राष्ट्रीय महत्व की महत्ता को खो चुके हैं।

(पैरा 2.1)

- भा.पु.स. के पास अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की सही संख्या का विश्वसनीय डाटा बेस नहीं था। इस प्राथमिक सूचना के अभाव में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ थे कि क्या भा.पु.स. अपने मूल अधिदेश को पूरा करने में समर्थ था।

(पैरा 2.2)

- संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि हमारे द्वारा चयनित 1655 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के नमूने में से 92 स्मारकों (6 प्रतिशत) का पता ही नहीं था। यह भा.पु.स. द्वारा संसद को बताई गई संख्या से काफी अधिक थे। यह कमजोर मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण का परिणाम था।

(पैरा 2.5)

<sup>1</sup> राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद तथा इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद।

- विश्व विरासत स्थलों की उपयुक्त देखभाल तथा सुरक्षा नहीं की जा रही थी। इन स्थलों में तथा इनके आसपास, अतिक्रमण तथा अप्राधिकृत निर्माण के कई मामले थे। हमने पाया कि संरक्षण निर्माण कार्यों, जो अपेक्षित थे, का समाविष्ट निर्धारण कभी भी नहीं किया गया था।

(पैरा 3.4)

- भा.पु.स. के पास संरक्षण तथा बचाव आवश्यकताओं के निपटान हेतु एक अद्यतन की गई तथा स्वीकृत संरक्षण नीति नहीं थी। हमने संरक्षण कार्यों की आवश्यकता वाले स्मारकों, की प्राथमिता निर्धारण हेतु, किसी भी निर्धारित मापदण्ड का अभाव पाया। परिणामस्वरूप, संरक्षण निर्माण कार्य करने हेतु स्मारकों का चयन मनमाने ढंग से किया गया था। इसके अतिरिक्त, संरचनात्मक संरक्षण की आवश्यकता के बावजूद कई स्मारकों में निर्माण कार्य पर विचार नहीं किया गया था।

(पैरा 4.1.1)

- भा.पु.स. के अधिकारियों द्वारा स्मारकों की स्थिति पर निरीक्षण टिप्पणियाँ तैयार नहीं की जा रही थी। संरक्षण निर्माण कार्यों का प्रलेखन खराब था। यहाँ तक कि मापन पुस्तिका, लॉग बुक, स्थल पंजिका जैसे आधारभूत अभिलेखों का भी उचित रूप से अनुसंधान नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, हम यह निर्णय नहीं कर सके कि क्या संरक्षण कार्यों हेतु चयनित स्मारक आवश्यकता पर आधारित थे, न ही हम संरक्षण कार्यों पर किए गए व्यय के औचित्य तथा विश्वसनीयता का निर्धारण कर सके।

(पैरा 4.1.1 एवं 4.1.2)

- भा.पु.स. का एक मूल कार्य देश में अवशेषों की खोज एवं उत्खनन तथा उनका अध्ययन था। तथापि, हमने पाया कि भा.पु.स. खोज एवं उत्खनन कार्यों पर अपने कुल व्यय के एक प्रतिशत से भी कम व्यय कर रहा था।

(पैरा 5.3)

- हमने भा.पु.स. द्वारा किए गए उत्खनन कार्यों का खराब प्रलेखन पाया। भा.पु.स. मुख्यालय पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत 458 उत्खनन प्रस्तावों की स्थिति प्रदान नहीं कर सका। इसी प्रकार, लम्बित उत्खनन रिपोर्टों की स्थिति पर संपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं थी। हमने प्रारम्भ न किए जा रहे अथवा अपूर्ण छोड़े उत्खनन प्रस्तावों के कई मामले भी पाए।

(पैरा 5.4.1 एवं 5.8)

- भा.पु.स. के पास इसके स्वामित्व वाले पुरावस्तुएं के प्रबंधन का निर्देशन करने वाली व्यापक नीति उपलब्ध नहीं थी। भा.पु.स. द्वारा अधिकृत वस्तुओं के अधिग्रहण, संरक्षण, प्रलेखन तथा निगरानी हेतु कोई मानक नहीं थे। प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान हमने उत्खननों के दौरान पाई गई कीमती पुरावस्तुओं को खराब स्थिति रखा पाया।

(पैरा 6.1.1)

- हमने अधिग्रहित कला वस्तुओं के अधिग्रहण, प्रलेखन तथा संरक्षण के संबंध में संग्रहालयों के कार्यों में भारी कमियां पाईं। अधिकांश संग्रहालयों के पास प्राप्त वस्तुओं की मौलिकता को सत्यापित करने हेतु उनके मूल्यांकन के लिए प्रणाली स्थापित नहीं थीं। इसलिए, हम प्राप्त कलाकृतियों की वास्तविकता पर कोई आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ थे।

(पैरा 6.2.3)

- संग्रहालयों की वस्तुओं के लेखाओं का सही प्रकार से हिसाब रखने तथा उनकी सुरक्षा के लिए भी परिग्रहण पंजिका के उपयुक्त अनुरक्षण की आवश्यकता थी। तथापि, संग्रहालयों में परिग्रहण पंजिका के प्रणालीगत अनुरक्षण का बड़े पैमाने पर अभाव था। हमने संग्रहालयों द्वारा सूचित पुरावस्तुओं की संख्या तथा उनके डाटाबेस में उपलब्ध संख्या में उल्लेखनीय विसंगतियां पाईं।

(पैरा 6.5.1)

- कलाकृतियों के प्रणालीगत संरक्षण तथा मरम्मत हेतु कोई निर्धारित नीति नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप उनका क्षरण होता गया।

(पैरा 6.8)

- भा.पु.स. ने अपने अधिकार में पुरावस्तुएं की कुल संख्या के डाटा बेस का अनुरक्षण नहीं किया था। केन्द्रीकृत सूचना के अभाव में, इन पुरावस्तुओं की चोरी अथवा हानि का भारी जोखिम था। यह इन पुरावस्तुओं के संरक्षक के रूप में भा.पु.स. की भूमिका को नजर अंदाज करती है। हमारे निरीक्षण के दौरान, हमने पाया कि 131 पुरावस्तुएं विभिन्न स्मारकों/स्थलों से तथा 37 पुरावस्तुएं स्थल संग्रहालयों से चोरी हुई थीं। तथापि, इन वस्तुओं की पुनः प्राप्ति हेतु भा.पु.स. के प्रयास पूर्णरूप से अप्रभावी थे।

(पैरा 6.10.2 एवं 6.11)

- संग्रहालयों ने गैलरियों में कलाकृतियों को प्रदर्शित करने हेतु आवर्तन नीति विकसित नहीं की थी। परिणामस्वरूप, कुछ लेखापरीक्षित संग्रहालयों में 95 प्रतिशत से अधिक वस्तुएं आरक्षित भंडार में पड़ी थीं। इन लेखापरीक्षित संग्रहालयों में से कुछ वस्तुओं को कभी भी प्रदर्शित नहीं किया गया था।

(पैरा 6.14.1)

- भा.पु.स. में सभी मुख्य पदों पर स्टाफ की भारी कमी थी। इसने प्रतिकूल रूप से स्मारकों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण को प्रभावित किया। स्टाफ की कमी कुछ संग्रहालयों तथा रा.सं.प्रा. जैसे अन्य संगठनों में भी पाई गई थी।

(पैरा 8.1.1 एवं 8.6)

- इसमें नीति एवं विधान की पर्याप्तता, वित्तीय प्रबंधन, संरक्षण परियोजनाओं की मॉनीटरिंग तथा इन संगठनों हेतु मानव संसाधन के प्रावधान के पहलुओं के संदर्भ में संस्कृति मंत्रालय द्वारा नियंत्रण में लापरवाही तथा कमियां पायी गयी थी।

(पैरा 11.1)

- विगत वर्षों से भा.पु.स. तथा संग्रहालयों के कार्यों से संबंधित कमियों को विभिन्न विशेषज्ञ/संसदीय समितियों द्वारा उजागर किया गया था। तथापि, मंत्रालय सुधारात्मक उपायों को आरंभ करने में इन चेतावनियों का संज्ञान लेने में विफल रहा।

(पैरा 11.1.4)

### अनुशंसाओं का संक्षेप:

- संरक्षित स्मारकों की सूची को अद्यतन तथा इनका मिलान किया जाना चाहिए जिससे कि समग्र रूप में प्रत्येक उप-परिमण्डल, परिमण्डल तथा भा.पु.स. के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की संख्या में कोई संदेह न हो।
- भा.पु.स. को उपयुक्त स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक संरक्षित स्मारक के आवधिक रूप से निरीक्षण हेतु प्रावधान करना चाहिए। भा.पु.स. का नियमित रूप से विस्तृत निरीक्षण टिप्पणी के आधार पर इसके द्वारा संरक्षित किए जा रहे प्रत्येक स्मारक की स्थिति तथा ऐसे निरीक्षण के दौरान एकत्रित फोटोग्राफिक प्रमाण को नियमित प्रकाशित करना चाहिए।
- भा.पु.स. के पास विवादास्पद स्वामित्व अथवा अधिवासी वाले स्थलों की अधिसूचना हेतु एक निर्धारित नीति होनी चाहिए। इन स्थलों को सभी विवादों को निपटाए जाने तक नामांकन हेतु अस्थायी सूची में डाला जा सकता है।
- प्रतिबंधित प्रवेश वाले स्थलों के प्रबंधन के साथ, आम आगंतुकों की इन स्थलों तक पहुँच का प्रावधान करने हेतु एक लिखित करार करने की अत्यंत आवश्यकता है। भा.पु.स. को ऐसे स्थलों के अनुरक्षण हेतु नीति विकसित करने की भी आवश्यकता है।
- यह निश्चित है कि संरक्षित स्मारकों में बदलाव किए ही जाएंगे अगर उनका उपयोग कार्यालयों तथा आवास हेतु भी किया जा रहा है। उन अपवादों के लिए भा.पु.स. को विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए तथा अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करना चाहिए।
- अधिसूचना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो न केवल केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों हेतु वैधानिक स्थिति प्रदान करता है, बल्कि स्थल के क्षेत्र को भी निर्धारित करता है। यह दस्तावेज स्थल पर अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत निर्माण हेतु महत्वपूर्ण है। भा.पु.स. को स्थलों से संबंधित सभी अधिसूचनाओं तथा अभिलेखों का एक केन्द्रीकृत डाटा बेस तैयार करना चाहिए जो भा.पु.स. मुख्यालय के पास सुलभ रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- स्मारकों से संबंधित वास्तविक सूचना में संदेह तथा भिन्नता हेतु कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भा.पु.स. को अपने परिमण्डलों से प्रत्येक संरक्षित स्मारक पर एम.आई.एस. डाटा एकत्रित करना चाहिए तथा विसंगतियों का समाधान करने के पश्चात इसे सार्वजनिक पटल पर रखना चाहिए।
- मंत्रालय को सभी संरक्षित स्मारकों हेतु विरासत उपनियमों के समयबद्ध तैयार करने तथा उनकी स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए।

- भा.पु.स. को अस्थाई सूची हेतु स्थलों के चयन तथा अस्थाई सूची से विश्व विरासत स्थल के अंतिम लेख हेतु उद्देश्य मापदण्ड तथा आवश्यकताओं को परिभाषित करना चाहिए क्योंकि इसी से ही नामांकन से पहले स्थलों की प्राथमिकता, योजना तथा स्थलों को तैयार करने में मदद मिलेगी।
- भा.पु.स. को संरक्षण तथा स्थल प्रबंधन के माध्यम से अस्थाई विश्व विरासत स्थलों के विकास हेतु एक प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह अकेले ही स्थल के अंतिम नामांकन को सुनिश्चित कर सकता है।
- मंत्रालय को विश्व विरासत स्थलों के अनुरक्षण तथा सुरक्षा हेतु एक अलग परियोजना विकसित करनी चाहिए। निधि, सुरक्षा तथा संरक्षण आवश्यकताओं का समुचित आकलन होना चाहिए।
- मंत्रालय को समावेशों संरक्षण नीति विकसित करनी चाहिए, तथा अपनी नियम पुस्तिका एवं कार्य प्रणाली को अद्यतन रखना चाहिए। भा.पु.स. को अपने संरक्षित स्मारक हेतु सभी संरक्षण प्रयासों के विस्तृत प्रलेखन सहित लॉग बुक के अनुरक्षण को अनिवार्य करना चाहिए।
- प्रभावी बनने के लिए भा.पु.स. को रा.से.नि. के माध्यम से वित्तपोषण की माँग कर रही अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इसके लिए निधियों का एक समाविष्ट निर्धारण पहले ही किए जाने की आवश्यकता है।
- 'सजीव' स्मारकों के प्रबंधन पर विस्तृत दिशानिर्देश होने चाहिए।
- 'निर्जीव' स्मारकों के अप्राधिकृत अधिग्रहण तथा उपयोग के अवसरों को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त रूप से अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए।
- मंत्रालय को त्वरित रूप में पुरातात्विक उत्खनन तथा खोज पर राष्ट्रीय नीति के अंतिम रूप को सुनिश्चित करना चाहिए।
- भा.पु.स. को स्थल के महत्व के आधार पर उत्खनन परियोजनाओं के लिए एक प्राथमिकता सूची तैयार करने हेतु क्रियाविधि विकसित करने पर विचार करना चाहिए। सूची को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जा सकता है।
- हानि हेतु निर्धारित उत्तरदायित्व एवं जबाबदेही सहित पुरावस्तुओं की सुपुदगी तथा अनुरक्षण के लिए एक लिखित प्रोटोकॉल अपेक्षित है।
- भा.पु.स. उत्खनन किए गए पुरावस्तुओं तथा उनके स्थान की एक सूची तैयार करें तथा इसे सार्वजनिक डोमेन में डालें जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भ/ अनुसंधान हेतु इसके उपयोग की सुविधा प्रदान की जा सके।
- भा.पु.स. को आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने, अपने अधिकारियों की क्षमता बनाने तथा अपनी स्वयं की एक उन्नत काल-निर्धारण प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता है।

- विधान को अधिक सम-सामयिक एवं प्रभावी बनाने तथा अन्य देशों से चोरी हुई कला वस्तुओं को सुविधा/पुनः प्राप्ति हेतु पु.क.श्व. अधिनियम के प्रावधानों तथा अंतर्राष्ट्रीय विधानों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- मंत्रालय को पुरावस्तुओं का पंजीकरण करने तथा पंजीकृत पुरावस्तुओं की प्रमाणिकता को समय बद्ध तरीके से सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया तैयार करने के कार्य को शीघ्र निपटाना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप पर विचार किया जा सकता है।
- भा.पु.स. को विभिन्न स्थानों पर रखे पुरावस्तुओं के सभी विवरणों के अभिलेखन हेतु पुरावस्तुओं का एक केन्द्रीकृत तथा डिजिटाइज्ड डाटा बेस विकसित करना चाहिए।
- चोरी अथवा अन्य देशों को गैर कानूनी तरीके से निर्यात भारतीय कला वस्तुओं की पुनर्प्राप्ति हेतु अधिक संगठित प्रयास की आवश्यकता है। भा.पु.स. को इस उद्देश्य हेतु, नोडल अभिकरण के रूप में अपने प्रयासों में और अधिक सक्रिय एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है तथा मंत्रालय को इसके लिए एक हमलावर नीति विकसित करने की आवश्यकता है।
- मंत्रालय को विभिन्न केन्द्रीय संग्रहालयों के स्वामित्व में पुरावस्तुओं के प्रबंधन हेतु एक समावेशी नीति तैयार करनी चाहिए।
- भा.पु.स. को स्थल संग्रहालयों के कार्य तथा स्थापना हेतु विस्तृत दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।
- संग्रहालयों को कलाकृतियों के प्रदर्शन हेतु एक आवर्तन नीति अपनानी चाहिए। इन्हें आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए उचित तथा आकर्षक तरीके से प्रदर्शन हेतु क्रियाविधि की रचना करनी चाहिए।
- आरक्षित संग्रहण को भी उचित रूप से अनुरक्षित तथा उपयुक्त भण्डारण परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
- भा.पु.स. को प्रवेश टिकटों की बिक्री से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने की दृष्टि से सशुल्क के रूप में एक विशिष्ट स्मारक को नामित करने हेतु स्पष्ट मापदण्ड तथा दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए।
- भा.पु.स. को राजस्व को एक पर्याप्त स्रोत बनाने हेतु फिल्म शूटिंग तथा टिकट की दरों को संशोधित करने की आवश्यकता है।
- मंत्रालय को विरासत स्थलों तथा संग्रहालयों से राजस्व सृजन के नए ढंग में परिवर्तन लाने तथा अन्वेषण करने की आवश्यकता है। सार्वभौमिक रूप से अपनाई उत्तम प्रक्रिया की दृष्टि से विकल्पों का अन्वेषण करना चाहिए।
- मंत्रालय को विशेष रूप से संरक्षण संबंधी कार्यों में लगे महत्वपूर्ण संवर्गों में, श्रमशक्ति की कमियों; के समाधान करने हेतु तुरंत कदम उठाने चाहिए।

- भा.पु.स. को जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से अतिक्रमण के मामलों की जांच करने हेतु प्रत्येक परिमण्डल में संबंधित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक समन्वय निकाय गठित करना चाहिए।
- मंत्रालय द्वारा उच्चतम स्तर पर वर्तमान अतिक्रमण मामलों की नियमित मॉनीटरिंग होनी चाहिए। राज्य सरकारी अभिकरणों अथवा भारत सरकार के अन्य अभिरणों द्वारा अतिक्रमण के मामले को उच्चतर स्तर तक उठाकर समय बद्ध प्रकार से निपटान करना चाहिए।
- प्रत्येक स्मारक हेतु इसके स्थान, क्षेत्र, संरचना, आगंतुकों की संख्या एवं अन्य भेद्यताओं को ध्यान में रखते हुए एक सुरक्षा योजना होनी चाहिए। यह प्रक्रिया आधारभूत वास्तविकताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु भा.पु.स. द्वारा आंतरिक रूप से निष्पादित की जानी चाहिए।
- संग्रहालयों को चोरी, क्षति तथा हानियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। मंत्रालय को इसके नियंत्रण के अंतर्गत सभी संग्रहालयों हेतु समान मानकों सहित संग्रहालयों के लिए एक समावेशी सुरक्षा नीति विकसित करने में पहल करनी चाहिए।
- भा.पु.स. के पास जागरूकता, प्रदर्शन तथा संबंधित कार्यों हेतु विशेष रूप से निधियाँ प्रयोजित होनी चाहिए।